न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – कालूराम, आर. जे. एस.

अंतिम प्रतिवेदन संख्याः 314/2024
CIS No. : 155/2025
CNR No. : RJJH020011332025
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 77/2024, पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनूं, अंतर्गत धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता

दिनांकः 08 अप्रेल, 2025

अभियोजन अधिकारी उपस्थित। परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अंतिम प्रतिवेदन दर्ज रजिस्टर हो।

प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में परिवादी की ओर से कोई उपस्थिति नही होने पर पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आदेश किया जा रहा है।

प्रकरण में खेताराम की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 77/2024 पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनूं अंतर्गत धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज की गई।

खेताराम की ओर से एक प्रार्थना पत्र थानाधिकारी को इस आशय का पेश किया गया कि ''वह पुलिस लाईन रीको फाटक के पास का रहने वाला है, कल दिनांक 10.02.2024 की सुबह 10 बजे उसका भाई कपिल उम्र 15 साल बिना बताए पता नहीं कहां चला गया। मैने अपने सभी जानकार व रिश्तेदारी में पता किया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। मेरा भाई कपिल गुंगा है, रंग सांवला है, उसने सफेद कोट व काली पेंट पहन रखी है। लम्बाई करीब 4 फुट 6 ईंच है। निवेदन है कि कार्यवाही करने की कृपा करें।''

थानाधिकारी की ओर से प्रकरण धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता में प्रकरण दर्ज कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित व्यक्ति रोहिताश उर्फ कपिल उर्फ बीरबल की मृत्यु होने के कारण मामला धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता में नही आने के तथ्य दर्शित करते हुए अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया है।

प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करें तो साररूप में अंतिम प्रतिवेदन का निष्कर्ष इस प्रकार है कि परिवादी खेताराम द्वारा जिस व्यक्ति के लापता होने संबंधी जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी उस व्यक्ति की दिनांक 21.11.2024 की तबीयत खराब होने के कारण उसे बी.डी.के. अस्पताल, झुंझुनूं में भर्ती करवाया गया था। ईलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया था। तत्पश्चात मृत घोषित होने पर पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर उसे संबंधित व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया गया। मृतक के श्मशान घाट में हलचल होने के कारण उसे पुनः बी.डी.के. अस्पताल, झुंझुनूं में भर्ती करवाकर इलाज शुरू किया गया, जहां तबीयत बिगड़ने पर उसे एसएमएस अस्पताल जयपुर रैफर किया गया, जिसकी दौराने इलाज मृत्यु होने पर पुनः पोस्टमार्टम किया गया तथा देह संबंधित को सुपुर्द किया गया।

परिवादी की ओर से जो रिपोर्ट अंतर्गत धारा 363 दण्ड प्रक्रिया संहिता दर्ज करवाई गई थी उस संबंध में संबंधित व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण कोई कार्यवाही धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में शेष नहीं रह जाती है। परन्तु मृतक को मृत्यु से पुर्व पोस्टमार्टम हेतु भेजने व बिना जांच के कागजी पोस्टमार्टम किये जाने के तथ्य के संबंध में कोई अनुसंधान होना प्रकट नही होता है।

किसी प्रकरण में आरोप पत्र या अंतिम प्रतिवेदन पेश होने पर प्राप्त विकल्प के संबंध में न्यायिक विनिश्चय **2024 INSC 197**

Dablu Kujur v. The State of Jharkhand के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है किः-

> **14. When such a Police Report concludes that an offence appears to have been committed by a particular person or persons, the Magistrate has three options: (i) he may accept the report and take cognizance of the offence and issue process, (ii) he may direct further investigation under sub-section (3) of Section 156 and require the police to make a further report, or (iii) he may disagree with the report and discharge the accused or drop the proceedings. If such Police Report concludes that no offence appears to have been committed, the Magistrate again has three options: (i) he may accept the report and drop the proceedings, or (ii) he may disagree with the report and taking the view that there is sufficient ground for proceeding further, take cognizance of the offence and issue process, or (iii) he may direct further investigation to be made by the police under sub-section (3) of Section 156.**

इस समाननीय विनिश्चय के अनुसार अंतिम प्रतिवेदन पेश होने पर न्यायालय के पास तीन विकल्प उपलब्ध होते हैं, प्रथम विकल्प में उस अंतिम प्रतिवेदन को न्यायालय स्वीकार कर सकता है, द्वितीय विकल्प में यदि न्यायालय किसी व्यक्ति की अपराध में संलिप्तता पाता है तो उस व्यक्ति के विरूद्ध प्रसंज्ञान लेकर उसे तलब कर

सकता है और तृतीय विकल्प में यदि आवश्यक हो तो न्यायालय प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान करवा सकता है।

प्रश्नगत प्रकरण में जो तथ्य दर्शित हुए हैं उन तथ्यों के अनुसार जिस व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज हुई थी, उस व्यक्ति के दो बार पोस्टमार्टम होने की रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रथम पोस्टमार्टम दिनांक 21.11.2024 को बी.डी.के., झुंझुनुं जिला अस्पताल में किया गया है, दूसरा पोस्टमार्टम दिनांक 22.11.2024 को एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर में किया गया है। ऐसा कोई तथ्य उक्त पोस्टमार्टम रिपोर्टों के अवलोकन से दर्शित नहीं होता कि पोस्टमार्टम मैगनेटिक आदि आधुनिक पद्धति से किया गया हो बल्कि मृतक का पोस्टमार्टम परम्परागत प्रचलित पद्धति के अनुसार ही किया गया है। सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के तौर पर यह तथ्य संभव प्रतीत नही होता है कि किसी व्यक्ति का यदि किसी सक्षम चिकित्सक या उस पेशे से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एक बार पोस्टमार्टम कर दिया जाए तो वह व्यक्ति पुनः किसी भी सूरत में जीवित हो जाए। एक बार पोस्टमार्टम होने के बाद पुनः जीवित होना असंभव है। पोस्टमार्टम के पश्चात मृतक व्यक्ति का पुनः श्मशान स्थल पर जिंदा होने के जो तथ्य पत्रावली से प्रकट होते हैं, उस अनुसार वास्तविक रूप से दिनांक 21.11.2024 को बी.डी.के. अस्पताल में मृत व्यक्ति का केवल मात्र सामान्य रूप से बिना भौतिक तौर पर पोस्टमार्टम किए ही उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई है, जो पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेज व पुलिस अनुसंधान के निष्कर्ष से प्रकट होती है। किसी चिकित्सक द्वारा लोक कर्त्तव्य के दौरान बिना भौतिक तौर पर शव को देखे पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करना न केवल चिकित्सक पेशे को शासित करने वाली आचार संहिता के विरूद्ध है, बल्कि एक गंभीर आपराधिक कृत्य को दर्शित करती है। एक

चिकित्सक जिसे समाज में इंसान को जीवनदान प्रदान करने वाला माना जाता है, उससे सामान्य तौर पर सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक प्रज्ञावान व्यक्ति के तौर पर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, उस व्यक्ति द्वारा इस प्रकृति का कर्तव्य किया जाना मामले में उसके गंभीर आचरण के तथ्य को दर्शित करता है। न केवल बिना भौतिक शरीर को देखे पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किया जाना गंभीर अपराध के तथ्य को दर्शित करता है, बल्कि जिस चिकित्सक की ओर से ईलाज के दौरान मृतक को मृत घोषित किया गया है, उस चिकित्सक के द्वारा भी न केवल लापरवाही किए जाने का तथ्य प्रकट होता है, बल्कि उसका आचरण भी इस हेतु इस गंभीरता को दर्शित करता है कि यदि वास्तविक रूप से उस व्यक्ति, जिसका कि दिनांक 21.11.2024 को पोस्टमार्टम किया गया, उस दिन चुंकि वह जीवित था, यदि वास्तव में पोस्टमार्टम किया जाता तो पोस्टमार्टम किए जाने की प्रक्रिया के दौरान वह व्यक्ति मृत्यु को अवश्यंभावी प्राप्त होता। ऐसी स्थिति में ईलाज के दौरान चिकित्सक द्वारा उसे मृत घेाषित करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजना भी अपने आप में गंभीर लापरवाही व गंभीर अपराध के तथ्यों को दर्शित करता है। **Indian Medical Council (Professional conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002** के अनुसार चिकित्सक का यह कर्तव्य है कि संबंधित व्यक्ति का पूर्ण सावधानी के साथ सम्यक तत्परता व आवश्यक वैज्ञानिक प्रक्रिया के साथ ईलाज करे, जबकि प्रकरण में न केवल उस प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने का तथ्य प्रकट होता है, बल्कि उस व्यक्ति को जो वास्तविक रूप से जीवित था, उसको पोस्टमार्टम हेतु प्रेषित किए जाने का तथ्य भी प्रकट होता है।

न्यायिक विनिश्चय **2025 INSC 43 OM PRAKASH @ ISRAEL @ RAJU @ RAJU DAS Vs UNION OF**

INDIA & ANR के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है किः–

> **4. Justice is nothing but a manifestation of the truth. It is truth which transcends every other action. The primary duty of a Court is to make a single-minded endeavour to unearth the truth hidden beneath the facts. Thus, the Court is a search engine of truth, with procedural and substantive laws as its tools.**
>
> **5. When procedural law stands in the way of the truth, the Court must find a way to circumvent it. Similarly, when substantive law, as it appears, does not facilitate the emergence of the truth, it is the paramount duty 3 of the Court to interpret the law in light of its teleos. Such an exercise is warranted in a higher degree, particularly while considering a social welfare legislation.**
>
> **6. In its journey, the Court must discern the truth, primarily from the material available on record in the form of pleadings, and arguments duly supported by documents. It must be kept in mind that the entire judicial system is meant for the discovery of the truth, it being the soul of a decision. For doing so, a Presiding Officer is expected to play an active role, rather than a passive one.**

माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा प्रतिपादित इस मतानुसार न्यायालय का कार्य न केवल किसी पक्षकार या उसकी ओर से

दर्शित तथ्यों के साथ ही चलना है, बल्कि पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के संबंध में सक्रिय तौर पर न्यायिक मस्तिष्क के साथ कार्य करते हुए सत्य की खोज करना है। प्रश्नगत प्रकरण में जो परिस्थितियां दर्शित की गई है, उन परिस्थितियों में न्यायालय के सामने किसी व्यक्ति के द्वारा अनुतोष की वांछा किए जाने के लिए उपस्थित नहीं होना अपने आप में अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने का आधार नही प्रदान करता है। प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों में जब न केवल मृतक के संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है बल्कि आपराधिक कृत्य भी कारित होना प्रकट होता है, वहां आपराधिक कृत्य के संबंध में न्यायालय अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए केवल मात्र इस आधार पर की कोई व्यक्ति उस मृतक की ओर से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है, पत्रावली में दिए गए अंतिम निष्कर्ष में दर्शित तथ्यों को किसी भी रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं पाता है।

न्यायिक विनिश्चय **WRIT PETITION (CIVIL) NO. 107 OF 2011 Deaf Employees Welfare Association & Another .. Petitioners Versus Union of India & Others** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्टता के साथ यह मत प्रतिपादित किया है किः–

> **22. The deaf and dumb persons have an inherent dignity and the right to have their dignity respected and protected is the obligation on the State. Human dignity of a deaf and dumb person is harmed when he is being marginalized, ignored or devalued on the ground that the disability that he suffers is less than a visually impaired person which, in our view, clearly violates Article 21 of the**

Constitution of India. Comparison of disabilities among "persons of disabilities", without any rational basis, is clearly violative of Articles 14 of the Constitution of India.

इस समाननीय विनिश्चय के अनुसार मंदबुद्ध या विकृतचित व्यक्ति भी अन्तर्निहित गरिमा रखता है और राज्य का यह दायित्व है कि वह उसकी मानव होने के नाते गरिमा को बनाये रखे और इसका उल्लघंन होना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 का उल्लघंन है। प्रश्नगत प्रकरण में यद्यपि जो मृतक, जिसके संबंध में दो बार पोस्टमार्टम किए जाने के तथ्य दर्शित होता है वह मंदबुद्धि था। केवल मात्र इस आधार पर किसी राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक या अन्य प्राधिकारी को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह केवल उसके मंदबुद्धि होने के आधार पर भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त गरिमामयी जीवन के अधिकार को इसलिए खत्म हो जाने दे कि उसकी ओर से कोई व्यक्ति आवाज उठाने हेतु सक्षम नहीं है। प्रकरण में चिकित्सकों की ओर से मंदबुद्ध व्यक्ति के भारत के संविधान द्वारा प्रदत संवैधानिक अधिकार को न केवल तार तार किया गया है, बल्कि अपने चिकित्सक के पावन पेशे को भी शर्मसार किया है। इस परिस्थिति में किसी भी रूप में चिकित्सक के आचरण को केवल मात्र किसी मंदबुदि या विकृतचित व्यक्ति की पैरवी नहीं करने के आधार पर क्षम्य नहीं किया जा सकता है।

चिकित्सक द्वारा अपने चिकित्सक पेशे को शासित करने वाली आचार संहिता का न केवल अपालन किया गया है, बल्कि अपने पदीय कर्तव्य का भी गंभीर रूप से उल्लंघन करते हुए, वह व्यक्ति जो मंदबुद्धि था, बिना किसी जांच के न केवल उसको मृतक घोषित किया है, बल्कि उस व्यक्ति की बिना वास्तविक जांच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तैयार की है, जो गंभीर आपराधिक तथ्यों को

दर्शित करती है। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन करें तो प्रथम पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दिनांक 21.11.2024 को बी.डी.के अस्पताल, झुंझुनूं में तैयार हुई है, उसें समस्त कॉलमों को खाली छोड़ते हुए क्रास कर अंतिम पेज पर केवल मृतक की मृत्यु के कारण को दर्शित किए गए हैं। तत्पश्चात जो अन्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर में तैयार हुई है, उस रिपोर्ट में यह तथ्य स्पष्टता के साथ प्रकट होता है कि मृतक के शरीर पर किसी प्रकार के कांटछांट के निशान नहीं थे। यदि वास्तविक रूप से दिनांक 21.11.2024 को पोस्टमार्टम किया जाता तो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के परिणामें का आना अवश्यंभावी ही था। दोनों परिस्थितियों में यह तथ्य प्रकट होता है कि मृतक की न केवल उसकी मृत्यु होने के तथ्य के संबंध में कोई समुचित जांच की गई, बल्कि उसका बिना किसी जांच के सरसरी तौर पर लोक दस्तावेज संबंधित चिकित्सक की ओर से अपने पदीय कर्तव्य के विरूद्ध जारी किया गया।

यह न्यायालय चिकित्सक द्वारा कारित इस आपराधिक कृत्य के संबंध में कोई अंतिम आदेश किए जाने से पूर्व प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विशिष्ट समयावधि में आवश्यक अग्रिम अनुसंधान करवाया जाना न्यायोचित पाता है। अग्रिम अनुसंधान वांछनीय होने से प्रस्तुत अंतिम अस्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण के तथ्यों परिस्थतियों में प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान के आदेश दिये जाते है। अंतिम प्रतिवेदन आदेश की प्रति के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनूं को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में थानाधिकारी स्वंय निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में

आवश्यक अनुसंधान करते हुए अनुसंधान नतीजा पन्द्रह दिवस की समयावधि में हरसुरत में पेश करेंः–

1. यह कि बी.डी.के. अस्पताल, झुंझुनूं में दिनांक 21.11.2024 से मृतक को पोस्टमार्टम के लिए रैफर करने तक मृतक का ईलाज किस किस चिकित्सक द्वारा किया गया तथा ईलाज से संबंधित समस्त दस्तावेज संकलित करे।

2. यह कि बी.डी.के. अस्पताल, झुंझुनूं में मृतक को ईलाज के दौरान मृत घोषित किस चिकित्सक द्वारा किया गया, इस संबंध में समस्त दस्तावेज व चिकित्सक का विवरण प्रस्तुत करे।

3. बी.डी.के. अस्पताल, झुंझुनूं में मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, किस चिकित्सक द्वारा तैयार की गई, उस चिकित्सक का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करे।

4. यदि बी.डी.के. अस्पताल में मोर्चरी या अन्य स्थल पर कोई सीसीटीवी सुविधा उपलब्ध थी, तो उस वक्त की रिकोर्डिंग संकलित करे।

5. यह कि मृतक के श्मसान स्थल पर पुनः जीवित होने के तथ्य के पश्चात उसे बी.डी.के. अस्पताल, झुंझुनूं में कब इलाज हेतु भर्ती कराया गया, उस समय उसका इलाज किस चिकिस्तक द्वारा किया गया और उसे कब जयपुर हेतु किस चिकिस्तक द्वारा रैफर किया गया और इससे संबंधित दस्तावेज।

6. मृतक के बी.डी.के. अस्पताल, झुंझुनूं में भर्ती कराये जाने के पश्चात से लेकर मृतक को मृत समझकर अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द करने तक अस्पताल में मृतक

से संबंधित अस्पताल के कार्मिकगण से इस संबंध में आवश्यक अनुसंधान करे।

7. यह कि मृतक के जयपुर एस.एम.एस. अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान यदि वीडियोंग्राफी की गई हो तो उसकी रिकोर्डिंग प्राप्त करे।

8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनूं से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त करे कि राजकीय चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या क्या दिशा निर्देश जारी किये गये है। साथ ही उन समस्त दिशा निर्देशों की प्रति भी प्राप्त करे।

अंतिम प्रतिवेदन आदेश की प्रति के साथ थानाधिकारी को आज ही लौटाया जावे।

पत्रावली पेश होने अनुसंधान नतीजा दिनांक 22.04.2025 को पेश हो।